



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1738) पटना, वृहस्पतिवार, 27 नवम्बर 2025

सं0 सं0 5(स0)/बियाडा (शीर्ष समिति-Tech Hub)-22/2025-5249
उद्योग विभाग

संकल्प

26 नवम्बर 2025

विषय:- बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब (Tech Hub) के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार सरकार राज्य के गुणात्मक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी लगभग 58 प्रतिशत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बिहार को देश के सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं और उर्जा को सार्थक दिशा देने के लिए नवीन प्रक्षेत्रों में औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना करने से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि कौशल विकास, नवाचार एवं उद्यमशीलता को भी बल मिलेगा। ऐसे में बिहार के युवा मानव संसाधन को दृष्टिपथ रख कर राज्य को पूर्वी भारत का नया टेक हब (Tech Hub) के रूप में विकसित किया जाना अपेक्षित है।

2. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाए। इस उद्देश्य को योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु वृहद कार्य योजना तैयार करने तथा तदालोक में संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के सतत् अनुश्रवण की आवश्यकता है।

3. इस कार्य योजना का निर्माण कराने तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन अपेक्षित है, जिसमें उद्योग विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे तथा उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

4. कार्य योजना के निर्माण हेतु शीर्ष समिति के पर्यवेक्षण में उद्योग विभाग द्वारा एक कार्य योजना समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित प्रक्षेत्रों के राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के परामर्शी/विशेषज्ञों को सुझाव हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

5. कार्य योजना समिति का कार्यकाल छः माह का होगा। समिति के द्वारा तीन माह के अंतर्गत विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शीर्ष समिति के समक्ष समर्पित किया जायेगा तथा इस कार्य योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए समिति अगले तीन माह कार्य करेगी।

6. उपरोक्त कंडिकाओं में निहित प्रावधानों के तहत बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब (Tech Hub) के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त पर दिनांक-25.11.2025 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1738-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>